

कायलय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा

पीठासीन अधिकारी :- रमेश सीरवी पुनाडियाँ (R.A.S.)

प्रकरण संख्या 69/2022

GCMS No- 2022/0139

श्री रामेश्वरलाल पिता भैरूलाल जी जाति धाकड निवासी बांगेडाघाटा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0

..... प्रार्थी

बनाम

राज्य सरकार जरिये भुमिधारी तहसीलदार निम्बाहेडा तहसील निम्बाहेडा राज0

..... अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :- 1- श्री रामचन्द्र धाकड - अधिवक्ता प्रार्थी
2- पेरोकार सरकार तहसीलदार - अधिवक्ता अप्रार्थी

::निर्णय::

दिनांक 29.11.2022

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काशत की पुश्तेनी आराजीयात वाके मौजा बांगेडाघाटा पटवार हल्का बांगेडाघाटा तहसील निम्बाहेडा में स्थित है। जिसके सम्वत् 2057 से 2060 तक के पुराने खाता संख्या 373(356) साबिक आराजी नम्बर 152/1 रकबा 2 बिस्वा, आ0 न0 153 रकबा 4 बिस्वा, आ0 न0 154 रकबा 1 बिघा 15 बिस्वा, आ0 न0 155/1 रकबा 1 बिघा, आ0 न0 156 रकबा 1 बिस्वा, आ0 न0 157/1 रकबा 1 बिघा 6 बिस्वा, आ0 न0 157/3 रकबा 9 बिस्वा, आ0 न0 158 रकबा 19 बिस्वा, आ0 न0 160/1 रकबा 1 बिस्वा, आ0 न0 161 रकबा 2 बिस्वा, आ0 न0 162 रकबा 2 बिघा 11 बिस्वा, आ0 न0 163 रकबा 13 बिस्वा कुल कित्ता 12 कुल रकबा 9 बिघा 03 बिस्वा कुल लगानी 20.70 रूपये वाके संयुक्त रूप से 1/6 वॉ हिस्सा दर्ज राजस्व रेकार्ड थी। इसके साथ आ0 न0 [REDACTED] वाह नम्बर जिसमें से 1/11 वॉ हक हिस्सा दर्ज राजस्व रेकार्ड था। उपर्युक्त वर्णित साबिक आराजी नम्बरान के नवीन खाता संख्या 624 में नवीन आराजी नम्बर 444, 445, 446, 447, 449, 450, 452, 455, 456,



457, 458 कुल किता 11 कुल रकबा 1.9800 हेक्टेयर है। उक्त वर्णित सम्पूर्ण आराजीयात मय चाह नम्बर सहित को तत्कालिन खातेदार मनोहरलाल पिता नारायण जी जाति तेली निवासी बाँगेडाघाटा द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 24/02/2002 को क्रेता रामेश्वरलाल पिता भैरूलाल जी जाति धाकड निवासी बाँगेडाघाटा तहसील निम्बाहेडा को विक्रय कर कब्जा खास मौके पर खरीददार को सुपुर्द कर दिया गया था।

2. उसके बाद जरिये इन्तकाल संख्या 1361 के आधार पर राजस्व रेकार्ड की जमाबन्दी सम्वत् 2057-2060 के रोटेशन में जो इन्तकाल अमद दरामद किया गया उसमें प्रार्थी की जाति धाकड अंकित नहीं की गई थी। इन्तकाल संख्या 1361 के कॉलम संख्या 16 में प्रार्थी के साथ एक अन्य खरीददार का भी इन्तकाल बाबत विवरण अंकित किया गया उसके बाद कॉलम संख्या 14 में प्रार्थी की रजिस्ट्री का विवरण एवं आदेश की पालना में कॉलम संख्या 9 में जहाँ प्रार्थी क्रेता का नाम रामेश्वरलाल पिता भैरूलाल 1/6 अंकित किया गया वहाँ पर रामेश्वरलाल पिता भैरूलाल जाति धाकड 1/6 हक हिस्सा अंकित नहीं कर एक साथ जो इन्तकाल खोला गया वहाँ अन्त में तेली अंकित कर दिया गया है ओर उसी अनुसार राजस्व रेकार्ड के रोटेशन में अमल दरामद हुआ है। जबकि उक्त इन्तकाल में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अनुसार प्रार्थी की जाति धाकड कही भी अंकित नहीं की गई जो उक्त इन्तकाल भरा गया तब सहवन से तत्कालिन हल्का पटवारी द्वारा प्रार्थी की जाति धाकड अंकित करना चुक हो गई। जिसको प्रार्थी राजस्व रेकार्ड की वर्तमान जमाबन्दी में शुद्धि कर जाति धाकड अंकित कराना चाहता है। प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र के साथ में अन्य दस्तावेज आवासीय भूमि का पट्टा बैंक पास बुक, गैस कनेक्शन, डाईविंग लाईसेंस अन्य खातेदारी जमीन की जमाबन्दी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की अंकतालिका की स्वयं हस्ताक्षरित की छाया प्रति पेश किये जिसमें प्रार्थी की जाति धाकड अंकित है।
3. प्रार्थी द्वारा शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया कि मोझा बांगेडाघाटा पटवार हल्का बांगेडाघाटा तहसील निम्बाहेडा नवीन खाता संख्या 624 के आराजी न0 444,445,446 ,447,449 ,450, 452,455,456,457,458 कुल किता 11 कुल रकबा 1.9800 है0 में प्रार्थी की जाति तेली की बजाय धाकड कि जावे।
4. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड किया गया, विपक्षी को जरिये सूचना पत्र तलब किया गया, विपक्षी तहसीलदार द्वारा जवाब एवं अनुशांषा कर निवेदन किया कि प्रार्थी श्री रामेश्वरलाल पिता भैरूलाल धाकड सा. बांगेडा घाटा तह0 निम्बाहेडा द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र की जांच की गई। जांच में पाया कि प्रार्थी द्वारा जरिये विक्रय पत्र से दिनांक 24.06.2002 को खरीदना पाया। इस विक्रय पत्र का नामान्तरण संख्या 1361 दिनांक 18.08.2002 दायर किया हुआ हैं। इस नामान्तरण में



क्रेता रामेश्वरलाल पिता भैरूलाल 1/6 के साथ जाति दर्ज नहीं हैं इस कारण अमल दरामद में पूरे खातेदार तेली हैं जिनकी जाति दर्ज हो गई हैं। इस प्रकार प्रार्थी रामेश्वरलाल की जाति धाकड़ की बजाय तेली दर्ज हो गई हैं जिसको शुद्ध किया जाकर प्रार्थी की जाति तेली के बजाय धाकड़ की जाने की अनुशंसा की।

5. दोनो पक्षो के अभिवचनो के आधार पर बहस उभयपक्ष सूनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं तहसीलदार निम्बाहेडा की अनुशंसा प्रतिवेदन का ध्यान पूर्वक अध्ययन किया गया एवं विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया प्रार्थना पत्र में वर्णित आधारो एवं दस्तावेजो के आधार पर संक्षिप्त निष्कर्ष यह है कि प्रार्थी द्वारा जरिये विक्रय पत्र जिसमे प्रार्थी श्री मनोहर लाल पिता नारायण लाल तेली निवासी बांगेडाघाटा ने प्रार्थी श्री रामेश्वरलाल पिता भैरूलाल धाकड़ निवासी बांगेडाघाटा को आराजी नम्बर 152/1 रकबा 2 बिस्वा , आ0 न0 153 रकबा 4 बिस्वा, आ0 न0 154 रकबा 1 बिघा 15 बिस्वा, आ0 न0 154 रकबा 1 बिघा 15 बिस्वा, आ0 न0 155/1 रकबा 1 बिघा , आ0 न0 156 रकबा 1 बिस्वा, आ0 न0 157/1 रकबा 1 बिघा 6 बिस्वा, आ0 न0 157/3 रकबा 9 बिस्वा, आ0 न0 158 रकबा 19 बिस्वा, आ0 न0 160/1 रकबा 1 बिस्वा, आ0 न0 161 रकबा 2 बिस्वा, आ0 न0 162 रकबा 2 बिघा 11 बिस्वा, आ0 न0 163 रकबा 13 बिस्वा कुल किता 12 कुल रकबा 9 बिघा 03 बिस्वा में विक्रेता का दर्ज सम्पूर्ण 1/6 हिस्सा विक्रय कर दिया एवं आराजी न0 159 चाह का 1/11 हिस्सा भी विक्रय कर दिया उक्त पंजीकृत विक्रय विलेख पत्र में क्रेता श्री रामेश्वरलाल पिता भैरूलाल की जाति धाकड़ दर्ज है।
6. भू प्रबन्धन के बाद की नवीन जमाबंदी में साबिक नम्बर जिसके सम्वत् 2057 से 2060 तक के पुराने खाता संख्या 373(356) साबिक आराजी नम्बर 152/1 रकबा 2 बिस्वा , आ0 न0 153 रकबा 4 बिस्वा, आ0 न0 154 रकबा 1 बिघा 15 बिस्वा, आ0 न0 155/1 रकबा 1 बिघा, आ0 न0 156 रकबा 1 बिस्वा, आ0 न0 157/1 रकबा 1 बिघा 6 बिस्वा, आ0 न0 157/3 रकबा 9 बिस्वा, आ0 न0 158 रकबा 19 बिस्वा, आ0 न0 160/1 रकबा 1 बिस्वा, आ0 न0 161 रकबा 2 बिस्वा, आ0 न0 162 रकबा 2 बिघा 11 बिस्वा, आ0 न0 163 रकबा 13 बिस्वा कुल किता 12 कुल रकबा 9 बिघा 03 बिस्वा कुल लगानी 20.70 रूपये उक्त वर्णित साबिक आराजी नम्बरान के नवीन खाता संख्या 624 में नवीन आराजी नम्बर 444, 445, 446, 447, 449, 450, 452, 455, 456, 457, 458 कुल किता 11 कुल रकबा 1.9800 हेक्टेयर है।

अतः तहसीलदार द्वारा नामान्तरण संख्या 1361 में नामान्तरण के दौरान प्रार्थी की जाति विक्रेता की जाति तेली होने से प्रार्थी की जाति तेली अंकित कर दी जबकि प्रार्थी की जाति तेली ना होकर धाकड़ है जो विक्रय विलेख पत्र एवं दस्तावेज आवासीय भूमि का पट्टा बैंक



वास बुक, गैस कनेक्शन, डाईविंग लाईसेंस अन्य खातेदारी जमीन की जमाबन्दी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की अंकतालिका की स्वयं हस्ताक्षरित की छाया प्रति के आधार पर प्रमाणित होती है नवीन जमाबन्दी सम्वत् 2077-80 राजस्व ग्राम बांगेडाघाटा पटवार मण्डल बांगेडाघाटा भू0अ0नि0 कनेरा के आराजी न0 444, 445, 446, 447, 449, 450, 452, 455, 456, 457, 458 कुल किता 11 रकबा 1.9800 हैक्टेयर में भी प्रार्थी की जाति तेली दर्ज हो गई जिसको शुद्ध किया जाकर धाकड दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार निम्बाहेडा को आदेशित किया जाता है कि जमाबन्दी सम्वत् 2077-80 राजस्व ग्राम बांगेडाघाटा पटवार मण्डल बांगेडाघाटा भू0अ0नि0 कनेरा के आराजी न0 444, 445, 446, 447, 449, 450, 452, 455, 456, 457, 458 कुल किता 11 रकबा 1.9800 हैक्टेयर में प्रार्थी श्री रामेश्वरलाल पिता भेरूलाल जाति तेली हिस्सा 1/6 में जाति तेली की बजाय धाकड दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार निम्बाहेडा निर्णय अनुसार अमल दरामद करे।

निर्णय आज दिनांक 29.11.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखील दपतर हो।



[Handwritten signature]

(रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ)
उपखंड अधिकारी निम्बाहेडा
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेडा (चित्तौड़गढ़)